



100







विविध प्रकरण क्रमांक

/२०१७

प्रस्तुति दिनांक : १६/०४/२०१७

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (कैम्प हन्दीर) के सफा

१०७४-१३६-१७



- १- जमनाबाई पति प्यारा
आयु वयस्क, धन्धा गृहकार्य
पता ग्राम अहमदपुर, सेगांव
तहसील व जिला सण्डवा (म०प्र०)
- २- बसन्तीबाई पिता कन्हैया
आयु वयस्क, धन्धा गृहकार्य
पता - सदर
- ३- शान्ताबाई पति सखाराम,
आयु वयस्क, धन्धा गृहकार्य
पता सदर
- ४- रत्नमणीबाई पति देवराम
आयु वयस्क, धन्धा गृहकार्य
पता - सदर
- ५- श्रीमती मीठीबाई पति ओंकार
आयु वयस्क, धन्धा गृहकार्य
पता - सदर

१७/५/१७
१३/५/१७

-- प्राथीगण/रिक्वीजनकर्ता

विरुद्ध

- १- कडवा पिता गोकुल,
आयु वयस्क, निवासी ग्राम अहमदपुर
सेगांव, तहसील व जिला सण्डवा
- २- मंगलाबाई पिता कन्हैया
पता ग्राम अहमदपुर सेगांव, तह० व
जिला सण्डवा
- ३- पार्वतीबाई पिता कन्हैया, पता सदर
- ४- लक्ष्मीबाई पिता कन्हैया, पता सदर
- ५- मांगीलाल पिता देवराम, पता सदर
- ६- दगडू पिता देवराम, पता सदर

--२

- ७- दगडू पिता देवराज, ठिकाना सदर
८- दादू पिता देवराज, ठिकाना सदर
९- नीलाबाई पिता देवराज, ठिकाना सदर
१०- रमाबाई पिता देवराज, ठिकाना सदर
११- नानकराज पिता ओंकार, ठिकाना सदर
१२- सुरेश पिता ओंकार, ठिकाना सदर
१३- भगवतीबाई पिता ओंकार, ठिकाना सदर
१४- रमेश पिता ओंकार, ठिकाना सदर
१५- जुलसाबाई पिता ओंकार, ठिकाना सदर
१६- रामेश्वर पिता सखाराम, ठिकाना सदर
१७- गजानंद पिता सखाराम, ठिकाना सदर
१८- सुमनबाई पिता सखाराम, ठिकाना सदर

— प्रतिप्राथीगण
प्रत्यथीगण


प्राथीनापत्र धारा ३५(३) भूराजस्व संहिता तथा आदेश ६ नियम ६
ठयवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत

उपरोक्त प्रकरण में प्राथीगण/रिवीजनकतगण की ओर से निवेदन है कि :--

१/-- यह कि प्राथीगण/रिवीजनकतगण उदारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष एक रिवीजन याचिका प्रस्तुत की होकर जिसका प्रकरण क्रमांक वार-७३६/पीबीवार/२०१७ (जमनाबाई व अन्य विरुद्ध सदा पिता गोकुल व अन्य) है। उक्त रिवीजन याचिका माननीय राजस्व मण्डल में दिनांक १८/४/२०१७ को नियत थी।

२/-- यह कि पेशी दिनांक १८/४/२०१७ को उक्त रिवीजन याचिका माननीय राजस्व मण्डल उदारा प्राथीगण/रिवीजनकतगण व उनके अभिभाषक की अनुपस्थिति दर्ज कर निरस्त कर दी है।

३/-- यह कि प्राथीगण/रिवीजनकतगण के अभिभाषक श्री के०सी० पालीवाल साहब अन्य प्रकरण में पेशी करने हेतु हन्दौर


पर

16-5-2017

Barbar

आवेदनकर्ता की ओर से
श्री के. सी. पाटीवाड़ अभिभाषक
उपाध्यक्ष। तब चुने गए। अनुपासिका
का कार्य समाप्त-कार्य-होने
से मूल प्रकल्प पुनर्स्थापित किया
जाता है। इस प्रकल्प में कोई

कार्यवाही शेष नहीं होने से
समाप्त किया जाता है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
अध्यक्ष